**भारत सरकार**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1327**
**उत्तर देने की तारीख: 09.02.2023**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर**

**1327. श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातियों को उनके गांवों और आस-पास के क्षेत्रों में अथवा कहीं और रोजगार प्रदान किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनजातीय बहुल गांवों में स्थापित किए जाने वाले व्यापक सूक्ष्म अथवा लघु उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)**

**(क से घ):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका लक्ष्य व्यापक क्षेत्र में विस्तृत परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोज़गार युवाओं को एकजुट करना है और यथासंभव उनको अपने निवास स्थान में ही स्व-रोज़गार अवसर प्रदान करना है तथा शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण युवाओं के पलायन को रोकने में मदद करना है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। **विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों,** जैसे कि अनुसूचित जातियां, **अनुसूचित** जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, ट्रांस**जें**डर, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों, आकांक्षी जिलों, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि के लिए **ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी** है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रु. है। **अनुसूचित जातियों और आकांक्षी जिलों के आवेदकों सहित विशेष श्रेणियों** से संबंधित लाभार्थियों के लिए स्व-अंशदान राशि **परियोजना लागत का 5% है,** और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है।

अनुसूचित जनजाति सहित स्कीम के लाभार्थियों को (i) खाद्य प्रसंस्करण, (ii) वस्त्र, (iii) लोहारी, (iv) बढ़ईगिरी,(v) आभूषण, (vi) कयर उत्पादों, (vii) निर्माण, (viii) आयुर्वेदिक और औषधीय उत्पादों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की गई है।

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत संपूर्ण भारत में **अनुसूचित** जन**जाति के लाभार्थियों** का कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है:

| वर्ष | संवितरित मार्जिन मनी (रु. लाख में) | सहायता प्राप्त इकाइयां | सृजित अनुमानित रोज़गार |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 12234.52 | 6021 | 48168 |
| 2020-21 | 12711.14 | 5497 | 43976 |
| 2021-22 | 16396.39 | 7225 | 57800 |

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों सहित सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों के लिए रोज़गार अवसरों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन भी कर रहा है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजीवीएम)' के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय लघु वन उपज के व्यापार में जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद के लिए निधियां प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) के माध्यम से वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य वनों की संपत्तियों अर्थात वन-धन के उपयोग के माध्यम से आदिवासियों के लिए रोज़गार सृजन करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अधिक जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में लघु वन उपज (एमएफपी) केंद्रित बहु-उद्देश्यी वन-धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) किए जा रहे हैं। ये केंद्र स्थानीय रुप से उपलब्ध लघु वन उपज के प्रापण-सह-मूल्यवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं और इससे संग्रहणकर्ताओं की आय में वृद्धि होती है। विगत तीन वर्षों के दौरान, 16 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में 342 करोड़ रु. की लघु वनोपजों की खरीद की गई जिससे 10 लाख से अधिक लघु वन उपज संग्रहणकर्ता लाभान्वित हुए हैं। ट्राईफेड ने 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 9.63 लाख लाभार्थियों से संबद्ध 3,225 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) भी स्वीकृत किए हैं।

पीएमजेवीएम स्कीम **की** 'जनजाति उत्पादों/उपजों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत सहायता' घटक के अंतर्गत, ट्राईफेड द्वारा जनजाति कलाकृतियों और उत्पादों तथा जनजाति कारीगरों के कौशल विकास में संस्थागत सहायता के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को सतत आजीविका प्रदान करने के कार्यकलाप शुरु किए गए हैं।

****